JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailiey Road, Patna – 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-SD/900/16/2325 दिनांक 27.09.18

कार्यालय आदेश

2 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विभिन्न जनोन्मुखी योजनाओं का शुभारम्भ तथा बाल विवाह एवं दहेज़ उन्मूलन अभियान का वार्षिक समारोह राज्यस्तर पर बापू सभागार, गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा । इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जिलों से आई माहिलाओं को संबोधित किया जाएगा । इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जीविका से सम्बद्ध महिलाओं की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :

जिला का नाम	समूह से प्रतिभागी सदस्यों की संख्या	राज्यस्तरीय समन्वय पदाधिकारी का नाम
पटना	600	नीरज कुमार सिंह , परियोजना प्रबंधक (अधिकार) 7542023837
नालंदा	50	सिद्धार्थ केशरी , परियोजना प्रबंधक (सामाजिक विकास) 9771478796
आरा	50	
DDUGKY से सम्बद्ध महिला अभ्यर्थी	100	ज्ञानेश सिंह, परियोजना प्रबंधक (जॉब्स) एवं रुचि कुमारी, राज्य परियोजना प्रबंधक (DDUGKY) 7033593795

नोट : कार्यक्रम में ऊपर्युक्त तालिका में वर्णित समूह के सदस्यों के अलावा सम्बंधित जिलों की महिला CC/ AC/ BPM एवं प्रबंधकों का भाग लेना अनिवार्य है।

सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक राज्यस्तरीय कर्मी से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त संख्या में प्रतिभागी कार्यक्रम स्थल तक प्रातः 9 बजे तक निश्चित रूप में पहुँच जाएँ और कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त ससमय घर लौट जायें । कार्यक्रम स्थल तक आने एवं वापस जाने की सुरक्षित व्यवस्था का दायित्व सम्बंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक का होगा । कार्यक्रम स्थल तक आने एवं वापस जाने हेतु परिवहन व्यवस्था, भोजन, नाश्ता एवं अन्य आकस्मिकता हेतु प्रति सदस्य व्यय की दर निम्नानुसार होगी :

क्र.	मद	प्रति सदस्य दर
1	भोजन , नाश्ता एवं पानी की बोतल	75
2	जीविका टोपी	18
3	आने जाने का परिवहन व्यय	200
4	विविध	17
	कुल (रुपये में)	310

उक्त दिवस को जीतिया पर्व को ध्यान में रख कर पर्व में शामिल प्रतिभागी दीदी का चयन भरसक नहीं किया जाना उचित होगा ।

व्यय की गयी राशि का विपत्र एवं अभिश्रव कार्यक्रम समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जिला परियोजना प्रबंधक के माध्यम से राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को प्रेषित करना अनिवार्य होगा । जिन वाहनों से प्रतिभागी के परिवहन की व्यवस्था की जायेगी उन पर **'बाल विवाह एवं दहेज़ उन्मूलन अभियान'** अंकित बैनर लगाने का दायित्व भी संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक का होगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

27.9.2018

(ब्रज किशोर पाठक)

विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि 1 जिला परियोजना प्रबंधक , पटना / नालंदा /आरा को सूचनार्थ प्रेषित

2. निदेशक / विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य वित्त पदाधिकारी / राज्य परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक
3. सम्बंधित संचिका